"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 8] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 22 फरवरी 2013—फाल्गुन 3, शक 1934

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 फरवरी 2013

क्रमांक ई-1-1/2013/एक/2.—श्री आर. पी. मण्डल, भा.प्र.से., (सी.जी. : 1987) प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव, खेल एवं युवा कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

2. श्री आर. पी. मण्डल, भा.प्र.से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्री के. सुब्रमण्यम, भा.व.से. (सी.जी:1984) सचिव, खेल एवं युवा कल्याण विभाग तथा अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल केवल सचिव, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.

रायपुर, दिनांक 8 फरवरी 2013

क्रमांक ई-1-1/2013/एक/2.—श्री एल. एस. केन, भा.प्र.से., (सी.जी. : 2000) संयुक्त सचिव, गृह एवं सहकारिता विभाग, संचालक संपदा, रायपुर तथा संयुक्त सचिव, परिवहन विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पंजीयक, फर्म एवं संस्थायें, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

रायपुर, दिनांक 8 फरवरी 2013

क्रमांक ई-1-1/2013/एक/2.—डॉ. कमल प्रीत सिंह, भा.प्र.से. (सी.जी.: 2002) संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, रायपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छ.ग., रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

2. डॉ. कमलप्रीत सिंह द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अजय सिंह, भा.प्र.से. (1983) प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा नगरीय विकास विभाग, नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़ केवल नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन के प्रभार से मुक्त होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनिल कुमार, मुख्य सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 फरवरी 2013

क्रमांक-बी-1-1/2013/एक/4.—श्री पी. एस. एल्मा (रा.प्र.से., आर. आर.-96, प्रवर श्रेणी), उपायुक्त (राजस्व), संभागीय आयुक्त कार्यालय, रायपुर को अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ श्री निरंजन दास, राज्यपाल के उप सचिव की प्रशिक्षण अवधि दिनांक 24-02-2013 से वापस आने तक के लिए उप सचिव, राजभवन का अतिरिक्त कार्य भी सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. माथुर, अवर सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 28 जनवरी 2013

क्रमांक एफ 1-5/2008/11/(6).—भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 (1932 का नंबर-9) की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए पूर्व में जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25-06-2008 में आंशिक संशोधन करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट सहायक पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं को उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए फर्मों के रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त करती है तथा वे उक्त सारणी के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में अपनी-अपनी शक्तियों का प्रयोग तथा अपने-अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे :—

स. क्र. (1)	अधिकारी का नाम/पदनाम (2)	अधिकारिता (3)	राजस्व संभाग (4)
1.	श्री अजय चौबे, सहायक पंजीयक	बस्तर संभाग	रायपुर/बस्तर संभाग
2.	श्री आर. आर. राजभानू, सहायक पंजीयक	बिलासपुर संभाग	बिलासपुर संभाग एवं सरगुजा संभाग.

रायपुर, दिनांक 28 जनवरी 2013

क्रमांक एफ 1-5/2008/11/(6).—छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (संशोधित 1998) क्रमांक 44 सन् 1973 की धारा 4 की उपधारा 2 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए पूर्व में जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25-06-2008 में आंशिक संशोधन करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट अधिकारियों को उक्त सारणी के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में उसके कॉलम-3 में यथा विनिर्दिष्ट उक्त अधिनियम की धारा के द्वारा रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त करता है :—

स. क्र.	अधिकारी का नाम/पदनाम	छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 की धाराएं	क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4).
1.	श्री अजय चौबे सहायक पंजीयक.	धारा-6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 25(2), 27, 28, 29, 31, 37, 38, 39.	बस्तर संभाग
2.	श्री आर. आर. राजभानू सहायक पंजीयक.	धारा-6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 25(2), 27, 28, 29, 31, 37, 38, 39.	बिलासपुर संभाग एवं सरगुजा संभाग

इस अधिसूचना के कारण रजिस्ट्रार को अधिनियम, नियमों व शासन आदेशों के अधीन प्राप्त अधिकारों में कोई कमी व परिवर्तन नहीं होगा.

उक्त अधिकारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण रजिस्ट्रार द्वारा किया जावेगा व प्रशासनिक नियंत्रण भी रजिस्ट्रार का रहेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. छबलानी, विशेष सचिव.

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 फरवरी 2013

क्रमांक 1078/तक./परि./2013.—छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 4 सन् 2013) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, 1 मार्च, 2013 को उक्त अधिनियम के प्रवृत्त होने की तिथि नियत करती है.

क्रमांक 1078/तक./परि./2013.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 1 of the Chhattisgarh Motoryan Karadhan (Sanshodhan) Adhiniyam, 2012 (No. 4 of 2013), the State Government, hereby, appoints the 1st March, 2013 as the date on which the said Adhiniyam shall come into force.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. तोमर, सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 3 सितम्बर 2012

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./26/अ-82/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	तिल्दा	भूमिया प. ह. नं. 01	122/1	0.040	कार्यपालन अभियंता, म. ज. प. डिसनेट संभाग क्र.-3, तिल्दा.	भूमिया वितरक नहर के भूमिया टेल माइनर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.
			79/1	0.040		
			79/2	0.057		
			78/10	0.037		
			78/11	0.040		
			78/2	0.081		
			78/1	0.028		
			78/4	0.016		
			78/3	0.032		
			72	0.133		
			70/2	0.016		
			78/8	0.030		
			योग	0.550		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथ आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बलौदाबाजार, दिनांक 31 अक्टूबर 2012

क्रमांक/भू-अर्जन प्र.क्र. 5 अ/82 वर्ष 2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार	पलारी	लकड़िया प.ह.नं. 111	0.469	कार्यपालन अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना, द्वितीय चरण कार्य संभाग, रायपुर.	राजीव (समोदा-निसदा) व्यपवर्तन योजना के द्वितीय चरण के अंतर्गत मुख्य नहर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

बलौदाबाजार, दिनांक 31 अक्टूबर 2012

क्रमांक/भू-अर्जन प्र.क्र. 6 अ/82 वर्ष 2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार	पलारी	टीपावन प.ह.नं. 31	2.116	कार्यपालन अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना, द्वितीय चरण कार्य संभाग, रायपुर.	राजीव (समोदा-निसदा) व्यपवर्तन योजना के द्वितीय चरण के अंतर्गत मुख्य नहर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

बलौदाबाजार, दिनांक 31 अक्टूबर 2012

क्रमांक/भू-अर्जन प्र.क्र. 7 अ/82 वर्ष 2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार	पलारी	बलौदी प.ह.नं. 31	1.402	कार्यपालन अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना, द्वितीय चरण कार्य संभाग, रायपुर.	राजीव (समोदा-निसदा) व्यपवर्तन योजना के द्वितीय चरण के अंतर्गत मुख्य नहर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश सुकुमार टोप्पो, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 1 दिसम्बर 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 52/अ-82/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-बिलासपुर
- (ग) नगर/ग्राम-खमतराई
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.06 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	559/2ब	0.06
योग	1	0.06

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अशोक नगर से आशाबन्द बिरकोना मार्ग निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बिलासपुर के कार्यालय किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामसिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 फरवरी 2013

क्रमांक क/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-ठनगन, प. ह. नं. 08
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.048 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	343/1	0.024
	343/2	0.024
योग	2	0.048

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सिंघरा वितरक नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 फरवरी 2013

क्रमांक क/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-खरकेना, प. ह. नं. 17
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.061 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	730/1	0.061
योग	1	0.061

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गिरगिरा माइनर नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 फरवरी 2013

क्रमांक क/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-कोमो, प. ह. नं. 03
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.030 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	28/7 28/28	0.030
योग	1	0.030

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नवापारा उप शाखा वितरिका, लघु वितरिका 2 आर. नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. एस. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

संचालनालय कृषि, छत्तीसगढ़ रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2012

क्रमांक गन्ना/आरक्षण/2012-13/196.—मैं मनोहर पाण्डे, गन्ना आयुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाना, मर्यादित, केरता जिला सूरजपुर के लिये छत्तीसगढ़ गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम 1958 की धारा 15 एवं 16 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वर्तमान में आरक्षित गन्ना क्षेत्र के अलावा निम्नलिखित क्रय केन्द्र के अन्तर्गत आने वाले निम्नलिखित ग्रामों का गन्ना भी, गन्ना पेराई वर्ष 2012-13 के लिये आरक्षित घोषित करता हूं. यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा. आरक्षित किये गये ग्रामों का गन्ना निम्नलिखित केन्द्र पर शक्कर कारखना द्वारा क्रय किया जावेगा :—

क्र.	क्रय केन्द्र का नाम	विकासखंड का नाम	ग्रामों का नाम	गन्ना क्षेत्र (हे. में)
1.	रघुनाथपुर (दर्रीडीह) जिला-सरगुजा.	लुण्ड्रा	1. बेहराडीह	14.746
			2. ससौली	7.060
			3. ककनी	10.926
			4. लमगांव	100.611
			5. डहोली	27.279
			6. सिलसिला	64.310
			7. बटवाही	32.615
			8. बुलंगा	45.135
			कुल योग	**302.682**

मनोहर पाण्डे,
गन्ना आयुक्त.